(95)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1875–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–08–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 231/निगरानी/2010–11.

.....

स्व0बालकृष्ण व्यास पिता लक्ष्मी निवासजी व्यास
द्वारा वारिसान श्रीमती बिन्दु
निवासी 226 तिलकपथ इंदौर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–इन्दूर परस्पर सहकारी बैंक लिमिटेड,
तिलकपथ इंदौर
2–सविता पति त्रिलोकसिंह उर्फ कन्हैया रघुवंशी
निवासी 53 कमाठीपुरा इंदौर

..... अनावेदकगण

.....

श्री एम0पी0एस0ठाकुर, अभिभाषक– आवेदक
श्री एस0पी0जोशी, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1
श्री हेमन्त पाटीदार, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/2012 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–08–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक बालकृष्ण की वारिसान श्रीमती बिन्दु द्वारा तहसीलदार इंदौर के प्रकरण कमांक 979/अ–6/2004–05 में दिनांक 20–5–2010 को जारी विकय प्रमाण पत्र एवं सहमति विकय की जाने वाली कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेकटर द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 05/निगरानी/10–11 दर्ज किया जाकर दिनांक 8–6–11 को आदेश पारित किया जाकर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि नीलामी/विकय की अभिपुष्टि किये जाने के आदेश अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 21–5–2010 को दिये गये जो समकक्ष अपर कलेक्टर है । प्रकरण में विकय की पुष्टि तथा उसके पश्चात् की कार्यवाही विकय प्रमाण पत्र, लीज निष्पादित हो चुकी है । नीलामी की अभिपुष्टि की जाना और विकय प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात् ही वह अंतिमता को प्राप्त हो जाता है । ऐसी स्थिति में निगरानी श्रवण करने का अधिकार अपर कलेक्टर को नहीं है । निगरानी आवेदन पत्र नस्तीबद्ध किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–8–11 को आदेश पारित कर इस निष्कर्ष के साथ निगरानी अग्राह्य की गई कि प्रकरण में नीलामी की अभिपुष्टि एवं विकय प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं । प्रकरण में निगरानी सुनने का अधिकार डेब्ट रिलीफ कोड (ऋण वसूली अधिकरण) को है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ इस प्रकरण में केवल यही बिन्दु विचारणीय है कि क्या निगरानी सुनने का अधिकार अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त को था अथवा नहीं । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में केवल यही आधार लिया गया है कि अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी श्रवण करने का अधिकार नहीं होने के आधार पर निरस्त की गई है, जबकि 1964 आरएन 551 एवं 1969 आरएन 561 में कलेक्टर को विकय निरस्त करने की अधिकारिता प्राप्त है इसलिये अपर कलेक्टर का आदेश विधि विपरीत है और अपर आयुक्त द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये निगरानी निरस्त की गई है कि निगरानी सुनने का अधिकार ऋण वसूली अधिकरण को है, जबकि अनावेदक कमांक 1 इन्दूर परस्पर सहकारी बैंक लिमिटेड रिकवरी

डेब्ट एक्ट ड्यू टू बैंक फायनेंस एक्ट, 1993 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये अपर आयुक्त को निगरानी सुनने का अधिकार था ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) तृतीय निगरानी में हस्तक्षेप करने का अधिकार तभी प्राप्त है, जब दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग में गम्भीर त्रुटि की गई है । अपर आयुक्त व अपर कलेक्टर द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है इसलिये तृतीय निगरानी हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

(2) प्रकरण में नीलामी की पुष्टि होने के पश्चात् विकय प्रमाण पत्र जारी करने के बाद प्रकरण अंतिमता को प्राप्त हो जाता है और अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है ।

5/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये अन्य आधार इस प्रकरण के निराकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नीलामी की कार्यवाही राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत की गई है और इसी नीलामी को इस न्यायालय में चुनौती दी गई है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में विकय प्रमाण पत्र भी जारी हो चुका है । आवेदक की ओर से तर्क के दौरान यह नहीं बतलाया जा सका है कि नीलामी में क्या त्रुटि हुई है । आवेदक की केवल यह आपत्ति है कि आयुक्त को संहिता के अन्तर्गत निगरानी सुननी चाहिये थी, परन्तु वर्तमान में आयुक्त के निगरानी के अधिकार समाप्त हो चुके हैं । अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा गुणदोष पर पारित आदेशों में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–08–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

8/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 1876–पीबीआर/2011 (विमलकुमार व्यास पिता स्व0श्री बालकृष्ण व्यास निवासी 226, तिलकपथ इंदौर विरूद्ध इन्दूर परस्पर बैंक लिमिटेड तिलकपथ, इंदौर तथा एक अन्य) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर